TWO RUPEES

(19)

क्र० सं०	आवेदन करने की तिथि	प्रतिलिपि करने की तिथि	मिलान की तिथि	निर्गत करने की तिथि
13	5/6/07	5/6/07	5/6/07	5/6/07

सच्ची प्रतिलिपि

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, सिमडेगा

एस. ए. आर. अपील वाद संख्या 16/2001-02

आदेश

पास्कल खाड़िया

बनाम

जगदीश प्रसाद अग्रवाल

यह अपील पास्कल खाड़िया पिता- स्व०सुलेमान खाड़िया ग्राम- सलडेगा द्वारा विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी सिमडेगा के वाद संख्या 41आर 15-71-72 में दिनांक 30.6.99 को पारित आदेश के विरूद्ध में अपील अवधि विस्तार के साथ दायर किया गया है जिसे स्वीकृत किया गया है ।

विवादित जमीन मौजा सलडेगा (सिमडेगा) के खाता नं. 26, प्लॉट नं. 607, 608 एवं 609 के रकबा क्रमशः 2.17 एकड़ में से 1.43 एकड़, 0.02 एकड़ एवं 0.55 एकड़ कुल 2.00 एकड़ से संबंधित है ।

मैंने उभयपक्षों को सुना । सरकारी वकील को भी सुना । दाखिल कागजातों को देखा तथा निम्न न्यायालय के आदेशों को देखा । अपीलकर्त्ता का कहना है कि अनुमंडल पदाधिकारी सिमडेगा द्वारा दिनांक 30.6.99 को विवादित भूमि का मुआवजा 50,000=00 रूपया निर्धारित किया गया है, उसे रद्द कर जमीन वापस किया जाय ।

उत्तरवादी की ओर से जवाब दाखिल किया गया है जिसमें कहा गया है कि विवादित भूमि मौजा

नकलकर्ता का हस्ताक्षर 5/6/07

मिलानकर्ता का हस्ताक्षर 5-6-07

(20)

सलडेगा, खाता नं. 26, प्लॉट नं. 607, 608, एवं 609 रकबा क्रमशः 2.17 एकड में से 1.43 एकड0.02 एकड एवं 0.55 एकड कुल 2.00 एकड भूमि का मुआवजा 25,000=00 रूपये प्रति एकड की दर से 2.00 एकड भूमि का कुल 50,000=00 रूपये श्री पास्कल खाड़िया वल्द स्व0सुलेमान खाड़िया ग्राम सलडेगा थाना वो जिला सिमडेगा को भुगतान करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी सिमडेगा द्वारा दिनांक 30.6.99 को आदेश दिया गया था । उक्त आदेश के अनुपालन में श्री पास्कल खाड़िया को 50,000=00 रूपया भुगतान किया गया है । अपीलार्थी पास्कल खाड़िया द्वारा एक आवेदन दिनांक 17.5.2002 को दिया गया है जिसमें लिखा गया है कि एस.ए.आर.केस नं. 41 आर 15-71-72 में दिनांक 30.6.99 को पारित आदेश के आधार पर मैं श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल से 50,000=00 रूपया दिनांक 2.8.99 को पा चुका हूँ ।

सच्ची प्रतिलिपि

जिला अभिलेखागार सिमडेगा

5/6/07
नकलकर्ता का हस्ताक्षर

5-6-07
मिलानकर्ता का हस्ताक्षर

उपरोक्त सभी तथ्यों को विचार करने पर यह स्पष्ट होता है कि निम्न न्यायालय में अपीलार्थी श्री पास्कल खाड़िया पिता स्व0सुलेमान खाड़िया ग्राम सलडेगा थाना वो जिला सिमडेगा को सरकारी अधिवक्ता की पहचानी पर श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल द्वारा मो0 50,000=00 रूपया मुआवजा भुगतान कर दिया गया है । जिसकी पुष्टि अभिलेखा में की गयी है । विवादित भूखाण्ड के आलोक में अपर समाहर्त्ता गुमला द्वारा दिनांक 16.1.87 को आदेश पारित करते हुए प्रावधान के अन्तर्गत निष्पादन करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी को अपर समाहर्त्ता के न्यायालय में

(21)

दो रुपये TWO RUPEES

सच्ची प्रतिलिपि

जिला अभिलेखागार सिमडेगा

नकलकर्ता का हस्ताक्षर 5/6/07

मिलानकर्ता का हस्ताक्षर 5-6-07

दर्ज अपील एस.ए.आर.वाद सं. 14/71-72 को रिमांड कर दिया गया जिसके आधार पर तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी सिमडेगा ने दोनों पक्षों तथा सरकारी अधिवक्ता को सुनने के बाद अंतिम आदेश 30.6.99 को पारित करते हुए कहा है कि विपक्ष श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल प्रथम पक्ष को 25,000=00 रुपये प्रति एकड के हिसाब से 2.00 एकड का 50,000=00 रुपये प्रथम पक्ष के श्री पास्कल खाड़िया को भुगतान करें ।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रथम पक्ष को सरकारी अधिवक्ता की पहचान पर विपक्षी द्वारा दिनांक 2.8.99 को 50,000=00 रुपया का भुगतान किया गया है जिसकी सम्पुष्टि अनुमंडल पदाधिकारी ने दिनांक 2.8.99 को कर दी है ।

विपक्षी उक्त आदेश के आधार पर अंचल सिरिस्ता सिमडेगा में 16.3.2000 को अभिलेख संख्या 177 27/1999-2000 के आधार पर दाखिल खारिज कराकर सरकारी मालगुजारी कटवा रहे हैं ।

अपर समाहर्त्ता गुमला द्वारा एक बार रिमांड हुआ है उसे दुबारा रिमांड करना न्यायोचित नहीं प्रतीत होता है ।

अनुमंडल पदाधिकारी सिमडेगा द्वारा विपक्षी श्री जगदीश प्रसाद अगवाल के नाम से दखल-कब्जा एवं हक सम्पुष्ट कर दिया गया है जो विधि- विधान से ~~वर्जित~~ वैधित्व है ।

अतः दोनों पक्षों द्वारा दायर कागजात

(22)

INDIA
एक रुपया
ONE RUPEE

COURT FEE
ONE RUPEE

Anup
5/6/07
...लकर्ता का हस्ताक्षर

सच्ची प्रतिलिपि

पक्षकारों के विद्व अधिवक्ता को सुनने एवं निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिशिलन एवं अनुशिलन के पश्चात आवेदक के आवेदन को रदद किया जाता है।

5-6-07
...लानकर्ता का हस्ताक्षर

3.12.

जिला अभिलेखागार सिमडेगा

Ajay Kumar
5.12.07

प्रमाणित किया जाता है कि यह सच्ची प्रतिलिपि कुल 04 (चार) पृष्ठों में निर्गत किया गया है।

5/6/07

प्रधान सहायक का हस्ताक्षर

A.F.	5.00
प्रतिलिपि कोर्ट फी	7.00
अन्य फी	4.00
फोलियो	शून्य
कुल	16.00

(सोलह रुपये मात्र)

5/6/07

प्रधान सहायक का हस्ताक्षर

२५ पैसे

प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	... requisite stamps and folios.	... was ready for delivery.	... copy to the applicant.
9·10·99	9·10·99	6·11·99	6·11·99	8·11·99

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमडेगा ।

आदेश पत्र

देखों अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक- दिनांक ---------- से ---------- तक

जिला- गुमला   केस नं0 एस.ए.आर.41/आर-15-71-72

सुलेमान खाड़िया

बनाम

जगदीश प्रसाद अग्रवाल

आदेश की क्र0 संख्या एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
... 8/11/99	न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमडेगा सुलेमान खाड़िया बनाम जगदीश प्रसाद अग्रवाल एस.ए.आर. 41/आर-15-71-72 आदेश यह वाद एस.ए.आर. अपील सं0 41/आर-15/71-72	

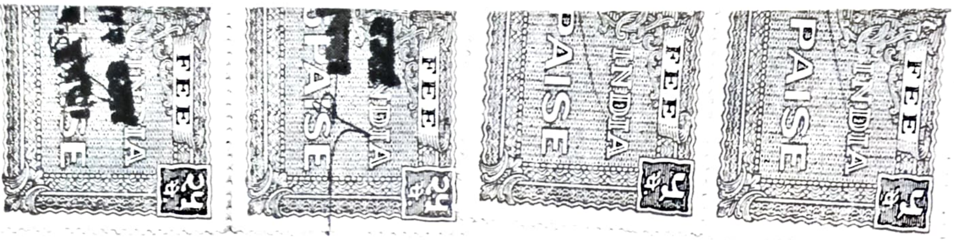

जगदीश प्रसाद अग्रवाल बनाम सुलेमान खाड़िया विद्वान अपर समाहर्ता गुमला के न्यायालय से धारा 71(ए0) के अन्तर्गत निष्पादनार्थ रिमाण्ड स्वरूप इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है । यह वाद मौजा सलेंगा थाना सिमडेगा के खाता सं0 -26 के प्लॉट सं0-607, 608 एवं 609 से संबंधित है । यह खाता जेठू खाड़िया के नाम से खतियान में अंकित है। उसका बेटा सुलेमान खाड़िया इस वाद का प्रथम पक्ष है, उसी के नाम से रसीद कटती है । द्वितीय पक्ष के जगदीश प्रसाद अग्रवाल ने प्लॉट सं0-607 के कुल रकबा 2.17 एकड़ में से 1.43 एकड़ और प्लॉट सं0-608 का 0.02 एकड़ तथा प्लॉट सं0-609 का सम्पूर्ण 0.55 एकड़ कुल 2.00 एकड़ जमीन अपने कब्जा में किए हुए है ।

अभियोग यह है कि श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के व्यतिक्रम में एक आदिवासी की जमीन को अवैध रूप से दखल कर लिया है, इसलिए धारा 71(ए0) छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत यह भूमि पुनः आदिवासी को वापस दिलवा दिया जाय । सुलेमान खाड़िया ने इस प्रक्रिया के प्रथम चरण में लिखकर दे दिया है कि अपनी राजी खुशी से उपरोक्त जमीन को जगदीश प्रसाद अग्रवाल को दिनांक 2.1.1956 को 1500=00 रुपया में सादा दस्तावेज द्वारा बेच दिया । उसका

प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	स्टाम्प और फोलिओ की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	अपेक्षित स्टाम्प और फोलिओ देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery.	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख Date of making over the copy to the applicant.

[illegible] दिनांक 1.8.99 [illegible] स्थापित करें ।

[illegible]

Sd/ M.P. Yadav 30/6/99 अनुमण्डल [illegible]

Sd/ M P Yadav 30/6/99

[illegible]

[illegible]

[illegible] आवेदक पास्कल [illegible] विपक्षी जगदीश प्रसाद अग्रवाल न्यायालय में उपस्थित [illegible] आवेदक पास्कल [illegible] अधिकारी [illegible] क्रमानुसार [illegible] पदनाम पर जगदीश प्रसाद अग्रवाल [illegible] न्यायालय में रु0 50000=00 (पचास हजार) रु0 [illegible] आवेदक [illegible] 0.17 [illegible] 608 [illegible] 0.02 [illegible] कुल 0.0 [illegible] [illegible]

[illegible]

Sd/ M P Yadav 30/6/99

अनुमण्डल पदाधिकारी

सिमडेगा

50000/- रुपया नगद पाया

ह0/- पास्कल खड़िया 2.8.99

Identified Paskal Kharia who himself appeared in Court and Received full compensation Rs.50000/- money fifty thousand only and his appended his signature.

Sd/-Illegible

A.G.P. 2.8.99

	2.00
[illegible]	
[illegible]	6.00
[illegible]	
[illegible]	3.75
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	11.75

6/11/84

OFFICER IN CHARGE

[illegible]

२५ पैसे

सत्यमेव जयते

भारत

TWENTYFIVE PAISE

COURT FEE INDIA 20 PAISE

...तिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	स्टाम्प और फोलिओ की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	अपेक्षित स्टाम्प और फोलिओ देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery.	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख Date of making over the copy to the applicant.

उसका यह भी कथन था कि उपरोक्त जमीनों पर द्वितीय पक्ष का दखल कब्जा गत 30 वर्षों से चला आ रहा है। इसी को उसने सिर्फ बिक्रीनामा लिखकर नियमित कर दिया। उसने उपरोक्त जमीनों को लेने से इन्कार कर दिया। प्रथम पक्ष ने लिखित ब्यान में एवं द्वितीय पक्ष ने भी लिखित ब्यान में यह कहा है कि उपरोक्त जमीनों की बिक्री हुई थी दूसरी दलील यह दी गई कि दस्तावेज 1956 में लिखा गया लेकिन उक्त जमीन को 30 वर्षों से कब्जा में चला आ रहा है इसके सबूत में प्रथम पक्ष की स्वीरोक्ति पत्र भी दी गई है। द्वितीय पक्ष की ओर से प्रार्थना की गई कि उपरोक्त जमीन पर उन्होंने अपनी रकम खर्च करके पक्की दीवार से घेरा किया पक्का कुँआ और घर बनाया है और जमीन को सुधार कर बहुमूल्य लकड़ी लगाया है, इसे न हटाया जाय, बल्कि मुनासिब हरजाना देने का आदेश दिया जाय। मैं ने दिनांक 29·6·99 को स्थल का निरीक्षण किया तथा यह पाया कि वास्तव में विवादग्रस्त भूमि को द्वितीय पक्ष द्वारा पक्की दीवार से घेरा बन्दी की गई है। उसमें पक्का कुँआ और घर बनाया गया है

है तथा जमीन को सुधार कर बड़े-बड़े वृक्ष लगाए गए हैं । सुनवाई के क्रम में प्रथम पक्ष ने भी मुआवजा भुगतान करने की बात कही है । इस सहायक सरकारी अधिवक्ता ने भी उचित मुआवजा निर्धारित करने की सहमति जतायी है ।

इस प्रकार सभी पक्षों को सुनने, प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन करने एवं स्थानीय निरीक्षण से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वास्तव में यह जमीन वर्ष 1956 के काफी पूर्व से ही जमीन विपक्षी के दखल कब्जा में है तथा विपक्षी द्वारा विवादग्रस्त भूमि पर पक्का दीवार, पक्का कुंआ एवं घर बनाया गया है तथा इस जमीन पर काफी खर्च कर जमीन सुधार कर उपजाऊ बनाया गया है ऐसी परिस्थिति में मुनासिब मुआवजा भुगतान करना ही श्रेयस्कर होगा । कुल 2.00 एकड़ जमीन का मुआवजा 25,000=00 रुपये प्रति एकड़ की दर से कुल 50,000=00 (पचास हजार) रुपया निर्धारित किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि विपक्षी आदेश की तिथि से एक महीने के अन्दर प्रथम पक्ष को पूर्ण राशि भुगतान करें ।

ह० हाकिम